

कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर

संख्या: 100/सात-सी0एफ0-38/2015-16-भूलेख

दिनांक: 10. सितम्बर, 2020

सार्वजनिक नोटिस निरस्तीकरण


इस कार्यालय के पत्र सं0-1424 दि0 04-03-2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन 2012) की धारा 6(2) के अनुसरण में राजस्व ग्राम अमानुल्लापुर विकासखण्ड पिप्सावां तहसील महोली जनपद सीतापुर का नाम परिवर्तित कर जमुनानगर किये जाने के सम्बन्ध में 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत नोटिस को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(अखिलेश तिवारी)
जिलाधिकारी
सीतापुर।

संख्या व दिनांक समांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।

- 1-जिला पंचायत राज अधिकारी सीतापुर।
- 2-उपजिलाधिकारी महोली।
- 3-जिला सूचना अधिकारी सीतापुर को सार्वजनिक निरस्तीकरण नोटिस 03 प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि उक्त सार्वजनिक निरस्तीकरण नोटिस निःशुल्क प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
- 4-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सीतापुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त सार्वजनिक निरस्तीकरण नोटिस जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी 10/9/2020
सीतापुर।